न्यायालय सत्र न्यायाधीश बिजनौर।
पीठासीन अधिकारी- (संजय कुमार VII), (उच्चतर न्यायिक सेवा)- UP.1997
जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 695/2026
शगुन बनाम उ0प्र0राज्य
UPBJ010025952026
एवम्
जमानत प्रार्थना.पत्र संख्या. 762/2026
अजीत उर्फ जीत उर्फ लडडू बनाम उ0प्र0राज्य
UPBJ010028632026

दिनांक : 12-03-2026

1. प्रार्थना पत्र वास्ते जमानत अभियुक्तगण **शगुन** व **अजीत उर्फ जीत उर्फ लडडू** पुत्रगण भूपेन्द्र निवासीगण ग्राम रसूलपुर आबाद थाना हल्दौर जिला बिजनौर की ओर से मु0अप0सं0 18/2026 अन्तर्गत धारा 109(1),351(3),3(5) बी0एन0एस0 थाना नांगल जिला बिजनौर के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है, जो शपथ पत्र द्वारा समर्थित हैं। उपरोक्त दोनों जमानत प्रार्थना पत्र मु0अप0सं0 18/ 2026 से सम्बन्धित हैं, अतः सुविधा की दृष्टि से दोनों जमानत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

2. उक्त जमानत प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष को सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

3. संक्षेप में अभियोजन कथनानुसार वादी कौशल कुमार द्वारा थाना नांगल पर इस आशय की तहरीर दी गयी कि अपनी पत्नी की चचेरी बहन की शादी में शामिल होने दिनॉक 16–02–2026 को वाईट पैलेस बरकातपुर चौराहा थाना नांगल में आया था करीब 05:30 बजे शाम जैसे ही बारात चढकर वाइट पैलेस के गेट पर पहुॅची बारात में शामिल अजीत पुत्र भूपेन्द्र अपने भाई शगुन व अन्य अज्ञात साथियों के साथ मण्डप के अन्दर बज रहे डीजे पर आकर मोहित पुत्र तेजपाल व रामकुमार पुत्र सुखलाल व डीजे वाले के साथ गाना बजाने को लेकर झगड़ा करने लगे, वादी द्वारा इन लोगों को समझाया गया तो शमुन से तमन्चा लेकर अजीत ने अन्य साथियों के कहने पर उसे जान से मारने की नियत से तमन्चे से फायर किया, जिससे वह बाल बाल बचा। उसे जान से मारने की धमकी देकर फायरिंग करते हुये वहॉ से भागने लगे, हाल के लॉन में भीड़ ने शगुन को पकड़ लिया तथा शगुन के अन्य साथी भाग गये। उक्त तथ्यों के आधार पर थाना नांगल पर मु0अप0सं0 18/2026 अन्तर्गत धारा 109(1),351(3) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत अभियोग दर्ज किया गया।

4. अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को के अनुसार अभियुक्तगण को उपरोक्त वाद में झूंठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण निर्दोष हैं। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। वाद उपरोक्त में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है, जो साक्षी दिखाये गये हैं वह हितबद्ध वादी मुकदमा है। कथित घटना की एफ0आई0आर0 विलम्ब से लिखायी गयी है, उक्त विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। तथाकथित घटना में कोई घायल नहीं है। कथित घटना की दिनॉक 16–02–2026 की रात को बारात में डी0जे0 बजाने को लेकर विवाद हो गया था प्रार्थी शगुन को मारपीट कर गलत फहमी में पकड़कर पुलिस को दिया गया था, पुलिस ने प्रार्थी का चालान कर दिया है। प्रार्थीगण से कोई बरामदगी नहीं है, तमन्चे से फायर करना बताया है। प्रार्थी शगुन दिनॉक 17–02–2026 से तथा प्रार्थी अजीत उर्फ जीत दिनॉक 21–02–2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थीगण कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्तगण अपनी उचित जमानत देने को तैयार है। उक्त आधार पर अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने पर बल

दिया गया है।

5. जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को के अनुसार अभियुक्तगण पर एक राय होकर वादी को जान से मारने की नियत से तमन्चे से फायर करने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। अभियुक्त अजीत उर्फ जीत उर्फ लडडू की निशानदेही पर पुलिस को अवैध तमन्चा व खोखा कारतूस बरामद हुआ है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। उक्त आधार पर अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने पर बल दिया गया है।

6. प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय से वादी को जान से मारने की नियत से तमन्चे से फायर करना बताया गया है। किये गये कथित फायर से किसी को फायर आर्म्स की कोई चोट नहीं आयी है, नो इंजरी केस है, केस डायरी के साथ संलग्न मैडिकल रिपोर्ट में अभियुक्त शगुन के चोटे आना दर्शित है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त शगुन दिनॉक 17–02–2026 से व अभियुक्त अजीत उर्फ जीत उर्फ लडडू दिनॉक 21–02–2026 से जिला कारागार बिजनौर में निरूद्ध हैं। अभियुक्तगण का कोई पूर्व अपराधिक इतिहास भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः अभियुक्तगण की जेल में निरूद्धता की अवधि, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये तथा मामले के गुण दोष पर कोई टीका टिप्पणी किये बिना अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण **शगुन** व **अजीत उर्फ जीत उर्फ लडडू** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाते हैं। अभियुक्तगण द्वारा अंकन **50,000, 5,0000/–(पचास–पचास हजार)** रूपये के दो–दो प्रतिभू व समान धनराशि का निजी बन्ध पत्र दाखिल करने पर सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर, जमानत पर रिहा किया जाये।

इस आदेश की एक प्रमाणित प्रति जमानत प्रार्थना पत्र सं0 762/ 2026 अजीत उर्फ जीत उर्फ लडडू बनाम सरकार की पत्रावली पर भी रखी जाये।

(संजय कुमार VII)
सत्र न्यायाधीश
बिजनौर।
12–03–2026

Digitally signed by SANJAY KUMAR VII
Date: 2026.03.12 16:47:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court